



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179506

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30162 वर्ष 2026

सोमप्रकाश सैनी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : पवन गिरी, शमशेर सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. सूचनादाता की ओर से अधिवक्ता श्री राजेंद्र कुमार यादव ने अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शमशेर सिंह, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र कुमार यादव तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 0462 सन् 2026, धारा 103(1), 191(2), 191(3), 190, 109(1) बी.एन.एस., थाना मझोला, जनपद मुरादाबाद में, विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में सह-अभियुक्त मनोज शर्मा सहित कई अन्य व्यक्तियों के साथ नामजद किया गया है और आरोप के अनुसार आवेदक तथा अन्य अभियुक्तों ने सूचनादाता एवं उसके पिता के साथ अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



मारपीट की, जिसके कारण दोनों को चोटें आईं और तत्पश्चात सूचनादाता के पिता की मृत्यु हो गई, किंतु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः झूठे हैं।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 28707 सन् 2025 में दिनांक 17.08.2026 को इस न्यायालय द्वारा पारित अत्यंत विस्तृत एवं तर्कपूर्ण आदेश के माध्यम से सह-अभियुक्त मनोज कुमार शर्मा को जमानत पर रिहा किया गया है और आवेदक का मामला उसके समान है।

6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, किंतु उसके आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया गया है और वह मामला मामूली अपराध से संबंधित है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 18.05.2026 से जेल में है।

8. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि सह-अभियुक्त मनोज कुमार शर्मा को जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है।

9. मैंने दोनों पक्षों को सुना है तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

10. तथापि, आवेदक केवल दिनांक 18.05.2026 से जेल में है, किंतु अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि इस न्यायालय द्वारा अत्यंत विस्तृत एवं तर्कपूर्ण आदेश के माध्यम से सह-अभियुक्त मनोज कुमार शर्मा को जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है। वर्तमान जमानत आवेदन में इस न्यायालय द्वारा इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है।

11. आगे, यद्यपि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, किंतु वह मामला मामूली अपराध से संबंधित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. आवेदक - **सोमप्रकाश सैनी** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

25 अगस्त, 2026

शाहरोज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।